न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारीः डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 146/2022

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

दुर्ग सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति राजपूत, उम्र—78 वर्ष, निवासी—एड मानजी, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर।

01. प्रेमसिंह पुत्र श्री दीपसिंह, जाति राजपूत, निवासी—डाबड, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.11.2022 जो जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा बअनवान प्रेमसिंह बनाम दुर्गसिंह वगैरा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2019 में पारित किया गया

उपस्थिति :—

1. श्री संजय चाण्डक, अधिवक्ता, अपीलाण्टस की ओर से।
2. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या एक की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या दो की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः 10 मार्च, 2025

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के तहत एक प्रार्थना पेश करते हुए निवेदन किया गया कि भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 16.06.1966 जो मौजा एड मानजी में रखी गई थी, उस समिति की बैठक में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में मौजा एड मानजी के खसरा नंबर 106 रकबा 30.11 बीघा भूमि का आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से किया गया है जो निरस्त योग्य है। उपरोक्त आशय के प्रार्थना—पत्र का अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त कृषि आवंटन परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 16.06.1966 जो मौजा एड मानजी में रखी गयी थी, जिसमें तहसीलदार के द्वारा अपीलांट के पक्ष में आवंटन नियम 1957

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के तहत पूर्ण पालना करते हुए मौजा एड मानजी की भूमि खसरा नंबर 106 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा का आवंटन नियमानुसार किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है तथा उक्त आवंटन कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। तत्पश्चात जिला कलेक्टर, बाडमेर ने अपीलांट के तर्को को अस्वीकार करते हुए दिनांक 23.11.2022 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपीलांट के पक्ष में हुए भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 12.12.2022 को प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के पक्ष में हुए भूमि आवंटन को निरस्त करने के सम्बंध में यह तर्क दिया गया था कि आवंटन के सम्बंध में नियम 7 के तहत किसी भी प्रकार का घोषणा पत्र जारी नही किया गया था और ना ही इस बाबत आपत्तियां आमंत्रित की गई थी तथा आवंटन के समय आवंटी व्यक्ति नाबालिग था जो कि भूमि आवंटन की पात्रता ही नही रखता था। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि भूमि को आवंटन करवाने से पूर्व या आवंटन के समय किसी भी प्रकार का आवंटन पत्र फॉर्म के रूप में भरकर प्रस्तुत नही किया गया तथा साथ ही यह आरोप लगाया कि तहसीलदार, बाडमेर के द्वारा आवंटित व्यक्तियो के आवेदन पत्रों को न तो स्वयं ने और न ही अपने अधीनस्थ पटवारी से जांच करवायी गई थी।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि वादग्रस्त खेत खसरा नंबर 106 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा पर अपीलान्ट का कब्जा कभी विधमान नही रहा तथा उक्त झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाकर अपीलांट के पक्ष में हुए भूमि आवंटन के आदेश दिनांक 16.06.1966 को निरस्त करवाने की प्रार्थना कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी पत्रावली पर अपीलान्ट की ओर से पेश किये जवाब एवं रिकॉर्ड पर वास्तविक एवं कानूनी स्थिति को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक का उक्त कृषि भूमि से कोई सरोकार नही है और न ही रेस्पोडेन्ट उक्त क्षेत्र का निवासी है, बावजूद इसके अपीलांट को क्षति पहुँचाने की गरज से झूठे एवं मनगढत, मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। अपीलान्ट को तहसीलदार, बाडमेर के द्वारा आवंटन नियम, 1957 के तहत

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वर्ष 1966 में नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया था जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसे में अपीलांट को भूमि का आवंटन वर्ष 1970 के पूर्व का होने से वह आवंटन, आवंटन नियम 1970 के नियमो की परिधि में नहीं आने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर ध्यान दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो कि निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के आवंटन के समय अपीलांट की वास्तविक आयु 18–19 वर्ष की थी तथा अपीलान्ट काश्त करने हेतु सक्षम था तथा आवंटन की पूर्ण पात्रता रखता था और आवंटन कमेठी द्वारा पूर्ण जांच करने के पश्चात ही अपीलान्ट को भूमि का आवंटन किया गया था, उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर 106 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा मौजा एड मानजी पर आवंटन के पश्चात से ही अपीलांट का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है और अपीलांट का रहवासी मकान भी बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट की उम्र के सम्बंध में कोई जांच पडताल नही की गई तथा अपीलांट का आधार कार्ड जो कि जन्मतिथि साबित करने के लिए सक्षम दस्तावेज नही है, उसके बावजूद आधार कार्ड में वर्णित आयु को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कानून सम्मत नही होने से अपास्त किये जाने के योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1966 को लगभग 54 वर्ष पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। कानूनन किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए एक मियाद अवधि निर्धारित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में इस बाबत किसी कारण का उल्लेख नही किया गया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में मियाद के सम्बंध में कोई उल्लेख किया गया है, जबकि कानूनन निर्णय पारित करने से पूर्व मियाद के बिन्दु के विवाद का निस्तारण किया जाना आवश्यक था। अपीलांट को भूमि आवंटन किये हुये लगभग 57 वर्ष हो चुके है तथा अपीलांट को खातेदारी अधिकार मिल चुके है तथा उक्त कृषि भूमि से अपीलांट अपना जीविकोपार्जन कर रहा है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट का रहवासीय मकान बना हुआ है जहां वह निवास करता है, उक्त सारे तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त किये जाने के योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा अपीलांट के आवंटन को झूठे तथ्यों के आधार पर निरस्त करवाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र इस कारण से पेश किया गया था कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के पिता दीपसिंह वगैरा ने अपीलांट को आवंटित कृषि भूमि खसरा नंबर 106 को अन्य खेतो के साथ पुश्तैनी मानकर सहायक कलेक्टर न्याायालय, गुडामालानी में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था जिसमें सफलता नहीं मिलने की उम्मीद होने से रंजिशवश अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकार का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2022 को निरस्त किया जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त यथाः सिविल अपील संख्या 1270 वर्ष 1969 निर्णय दिनांक 13.10.1972, 1935 एससीसी पेज 243, मिस. अपील संख्या 526 वर्ष 1991 निर्णय दिनांक 27.06.1995, सिविल रिट संख्या 4194 एवं 4247 वर्ष 2018 निर्णय दिनांक 7.5.18, 2024 आईएनएससी 816 सिविल अपील संख्या /2024 सरोज वगैराह बनाम इफको–टोकियो जनरल इन्सयोरेन्स वगैराह पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

प्रत्युतर में दौराने सुनवाई रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए यह निवेदन किया गया था कि भूमि आंवटन परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 16.6.1966 जो कि मौजा एड मानजी में रखी गई, उस भूमि आंवटन परामर्शदात्री समिति की बैठक में रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में मौजा एड मानजी की भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 30.11 बीघा भूमि का आंवटन विधि विरूद्ध तरीके से किया गया है क्योंकि तहसीलदार, बाडमेर के द्वारा आंवटन के सम्बन्ध में नियम 7 के तहत किसी प्रकार का घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया था और न ही आपतियां आमत्रित की गई जिसके अभाव में ग्राम एडमानजी के आंवटन की पात्रता रखने वाले अपने अधिकारो से वंचित रह गये थे। आवंटन के समय अपीलान्ट नाबालिग व्यक्ति था जोकि प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज आधार कार्ड में जन्मतिथी दिनांक 21.01.1960 अंकित है अर्थात अपीलान्ट की आयु तत्समय लगभग 7–8 वर्ष की थी जिसके कारण वह भूमि आंवटन की पात्रता ही नहीं रखता था।

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि आंवटन के समय या उससे पूर्व आंवटनधारी ने भूमि को आंवटन कराने हेतु किसी प्रकार का आवेदन पत्र फार्म के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। यदि प्रस्तुत किया भी गया था तो भी उस पर आंवटिति के कोई हस्ताक्षर नहीं है और न ही अपीलान्ट आंवटन के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का पात्रता या योग्यता भी नहीं रखता था। आवेदन पत्र विधिनुसार सत्यापित भी नहीं था, इस बाबत कोई जॉच भी नहीं की गई थी। अपीलान्ट को उपरोक्त भूमि का आंवटन होने के पश्चात् भी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा–काश्त नहीं रहा है। आंवटन के समय अपीलान्ट सात आठ वर्ष का बालक था और उसके पिता या उसके सम्बन्धियो ने सही तथ्य नहीं बताकर कपट एवं मिथ्याव्यदेशन करके सही तथ्यो को छिपाते हुए आवंटन करवा लिया गया।

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि भूमि आंवटन समिति का मुख्यावास एड मानजी में दिनांक 16.6.1966 को रखा गया था तथा उस दिन परामर्शदात्री समिति की बैठक में समिति सदस्य प्रधान, ग्राम पंचायत सिणधरी, विकास अधिकारी एवं विधायक अनुपस्थित रहे थे और उनकी अनुपस्थिति में केवल मात्र तहसीलदार बाडमेर के द्वारा कोरम के अभाव में अपीलान्ट के पक्ष में नियमो के विरुद्ध जाकर तथा दबाव/प्रभाव में आकर विधि विरूद्ध कृषि भूमि का आंवटन कर दिया गया था जो कि विधि के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अलावा नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के जरिये अपीलान्ट के पक्ष में हुए आंवटन को निरस्त करवाने हेतु विधि में कोई मियाद निर्धारित नहीं है, ऐसे नियम विरूद्ध पारित किये गये आदेश को किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी जानकारी होने की दिनांक से सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और आवंटन नियम 1957 के नियमों में हुआ है तो भी नियम 14 (4) के तहत सुनवाई उपरान्त निरस्त किया जा सकता है और इस आधार पर माननीय जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में हुए भूमि आवंटन को निरस्त किया गया है जो कि उचित होने से यथावत रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया कि अपीलान्ट अपनी इस अपील में यह साबित नही कर पाये कि आवंटन के समय अपीलान्ट की आयु सीमा आवंटन हेतु निर्धारित 18 वर्ष यानि व्यस्क व्यक्ति की रही थी और वह काश्त करने योग्य एवं लायक था और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश कर पाये है जिससे अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का ठोस आधार सामने आया है। अतः अपीलान्ट की अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आंवटन आदेश दिनांक 16.06.1966 को निरस्त किये जाने बाबत पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2022 को यथावत रखा जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2013 (13) डीएनजे (राज) 1367 एवं अन्य दस्तावेज पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

हमने दौरान बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों, उभय

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षों द्वारा पेश की गई कानूनी नजीरों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार किये जाने का आधार यह माना गया है कि दुर्गसिंह का वक्त आवंटन नाबालिग होने एवं सद्भाविक काश्तकार की श्रेणी में नहीं होने के बावजूद तथ्यों को छिपाकर मिथ्याव्यपदेशन किया गया है। उक्त आवंटन आवंटी/रेस्पोडेन्ट संख्या एक दुर्गसिंह की आयु 7–8 वर्ष होने की पुष्टि प्रस्तुत की गई आधार रसीद से स्वतः हो जाती है। इस बाबत अपीलान्ट के द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष और न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेज सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाये है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो तथा जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत होती हो। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 10 मार्च, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर